न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 124 / 2020
निर्णय दिनांकः– 08.01.2021

उनवान

बरदीलाल पुत्र रामभजा जाति धाकड निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक –प्रार्थी

बनाम

1.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

– प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री कन्हैयालाल ठाडा वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 225 ख0न0 174 रकबा 2.94, ख0न0 2349 / 1642 रमकबा 0.07, ख0न0 380 रकबा 0.63, ख0न 480 रकबा 0.15 है कुल किता 4 कुल रकबा 4.79 है वाके ग्राम पलाई एवं खाता सख्या 228 ख0न0 2347 / 2085 रकबा 1.11 है वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम बरदीलाल पुत्र रामभजा है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र,राशनकार्ड,ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात इत्यादि में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 225 में प्रार्थी का नाम सहवन से बदरीलाल पुत्र रामभजा एवं खाता संख्या 228 में प्रार्थी का नाम बरधा पुत्र रामभजा अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम बरदीलाल पुत्र रामभजा है।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम बरदीलाल पुत्र रामभजा के स्थान पर सहवन से बदरीलाल पुत्र रामभजा दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 225 ख0न0 174 रकबा 2.94, ख0न0 2349 / 1642 रमकबा 0.07, ख0न0 380 रकबा 0.63, ख0न 480 रकबा 0.15 है कुल किता 4 कुल रकबा 4.79 है वाके ग्राम पलाई में **बदरीलाल पुत्र रामभजा के स्थान पर बरदीलाल पुत्र रामभजा** एवं खाता सख्या 228 ख0न0 2347 / 2085 रकबा 1.11 है वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम के **बरधा पुत्र रामभजा स्थान पर बरदीलाल पुत्र रामभजा** अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम पलाई के खाता संख्या 225 किता 4 रकबा 4.79 है0 में बदरीलाल पुत्र रामभजा, खाता संख्या 228 किता 1 रकबा 1.11 है में बरधा पुत्र रामभजा धाकड दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से बदरीलाल पुत्र रामभजा, बरधा पुत्र रामभजा व **बरदीलाल पुत्र रामभजा** एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 225 किता 4 रकबा 4.79 है0 में बदरीलाल पुत्र रामभजा, खाता संख्या 228 किता 1 रकबा 1.11 है में बरधा पुत्र रामभजा जाकड वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम बरदीलाल पुत्र रामभजा दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम पलाई के के खाता संख्या 225 किता 4 रकबा 4.79 है0 में बदरीलाल पुत्र रामभजा के स्थान पर **बरदीलाल पुत्र रामभजा** ,खाता संख्या 228 किता 1 रकबा 1.11 है में बरधा पुत्र रामभजा के स्थान पर **बरदीलाल पुत्र रामभजा** किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त खाता संख्या 225 किता 4 रकबा 4.79 है0 में **बदरीलाल पुत्र रामभजा के स्थान पर बरदीलाल पुत्र रामभजा** ,खाता संख्या 228 किता 1 रकबा 1.11 है में **बरधा पुत्र रामभजा के स्थान पर बरदीलाल पुत्र रामभजा** दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा